

(1)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०,  
४-भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2740081,  
0141-2740231  
फैक्स : 0141-2740122,  
0141-2740457

E-mail : rajfed\_agri.input@yahoo.com

ई-बिड सूचना संख्या राजफैड/कृषि /2018-19/7158

माह सितम्बर, 2018 से मार्च, 2019 तक राजफैड के माध्यम से निर्माता कम्पनियों/कोन्सोर्सियम जिन्हें कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा राज्य में विपणन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त है, से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मेन्युर) (As per specification of FCO) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु एवं राजफैड के माध्यम से कृषि विभाग, राजस्थान सरकार में पंजीकृत निर्माता/मार्केटिंग कम्पनियों से ऑन लाईन ई-बिड आमंत्रित की जाती है, जिसकी डाउनलोडिंग व अपलोडिंग की अन्तिम तिथि 28.09.2018 है। विस्तृत विवरण दि० 29.08.2018 से वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [rajfed.gov.in](http://rajfed.gov.in), [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखें। संशोधन/शुद्धि पत्र भी इसी वेबसाइट पर दिया जावेगा।

प्रबन्ध संचालक